न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 101 / 2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 बनारसी देवी पत्नि बद्रीप्रसाद जाति गुर्जर निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 कान्ती सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 22 आदर्श कॉलोनी खेतड़ी रोड़ चिड़ावा (झुंझुनू) हाल आबाद अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

2 सावित्री देवी पत्नि सुरजनसिंह जाति जाट निवासी भगतसिंह कॉलोनी नवलगढ़ रोड़ सीकर।

3 किशनलाल पुत्र बशीधर जाति योगी निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4 शिवदयाल सिंह मील पुत्र छीतरमल जाति जाट निवासी सौथलिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 कुम्भाराम फोगावट पुत्र हमीरसिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी डांग्यावाली तन हमीरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

6 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.13
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उनवानी प्रकरण कान्ति बनाम सावित्री देवी
आदि दावा सं. 357/12

उपस्थित

1. श्री विनोद कुमार सरोज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–14.09.18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा वाद संख्या 357/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04. 2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट 1 द्वारा विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 1074 ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर के संदर्भ में बाहमी विभाजन अनुसार बंटवारा किये जाने का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने जरिये राजीनामा वाद स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों के कथनों एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दोहराते हुये तर्क

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामिल सम्यक रूप से नही हुई है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलांट को 11.09.2014 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी हुई है जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया अपनाये बिना ही एवं राजीनामें के अनुसार मौके पर काबिज होने की रिपोर्ट लिये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने एवं धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपील को छोड़कर शेष सभी सहखातेदारों ने राजीनामा प्रस्तुत कर मौके पर बाहमी विभाजन होना स्वीकार किया है विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत कर तामिली प्रकिया को चुनौती नही दी है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट तामिली प्रकिया के सन्दर्भ में आपत्ति नही कर सकता है अपीलांट ने अपने अपील मेमों में केवल मात्र तामिल को अप्रर्याप्त बताकर अपील स्वीकार करने का कथन किया है जो स्वीकार योग्य नही है। गुणागुण पर अपीलांट ने कोई तर्क नही दिया है राजस्व रिकार्ड मुताबिक अपीलांट को उसके हिस्से अनुसार रकबा पूर्ण दिया गया है मौके पर कब्जे के अनुसार राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील मियाद बाहर है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जायें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.सी. 1998 पेज 22 आर.आर. डब्ल्यू 2007 (2) पेज 1196 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

कि अपील मियाद बाहर है अपीलांट ने अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की है न्यायाहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। जहां तक गुणागुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट को छोड़कर अन्य शेष सहखातेदारान ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर बाहमी विभाजन कर अलग– अलग कर काबिज होने का कथन किया है। विचारण न्यायालय ने राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुये विचाराधीन निर्णय पारित किया है अपीलांट ने इससे अलग मौके पर कब्जे की स्थिति होने का कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अपील के स्तर पर प्रस्तुत नही किया है। केवल मात्र विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलांट की तामिल सम्यक नही होने का तर्क दिया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 तहत तामिली प्रकिया को चुनौती नही दी है वकिल रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपीलांट अपील के स्तर पर विचारण न्यायालय की तामिली प्रकिया को चुनौती देकर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नही कर सकता है। गुणागुण पर अपीलांट विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि विरूद्व साबित करने में सफल नही रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर